102/15

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 102/2015 अनवानी श्री योगेश टेकवाणी, 13 मुकर्जीनगर श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

17-02-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री योगेश कुमार टेकवाणी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री योगेश कुमार टेकवाणी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2015 जिसका पोस्टल ऑर्डर संख्या 32 एफ 333754 है के द्वारा निम्न सूचना Public information officer, chief Minister office, secretrete, Jaipur से चाही थी:-

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1) Date of Joining govt service by Mr. Sandeep Gaur. Mode of his recruitment in Govt. Service. Certified copy of file alongwith file notings.
(2) Number of Cases, FIRs, Complaints registered/lodged against Mr. Sandeep Gaur during his service and present status of each.
(3) First place of posting of Mr. Sandeep Gaur.
(4) All place of posting right from first appointment till today along with the tenure at each place of Mr. Sandeep Gaur.
(5) Place of posting of Mr. Sandeep Gaur during the period 30 July, 2008 to 3 October, 2008.
(6) Details of Ration Cards Made or recommended to make Mr. Sandeep Gaur during the period 30 July, 2008 to 3 October, 2008.
(7) Certified copy of Annual property Return file by Mr. Sandeep Gaur each year from first date of joining till today. Also Give the property declared by Mr. Sandeep Gaur at the time of joining govt sdervice.
(8) Certified copy of intimation given by Mr. Sandeep Gaur to the department regarding their appearance in any exam or interview during their course of government service.
(9) Certified copy of Kerosene Oil Permit issued by Mr. Sandeep Gaur to Various students, Religious and social organizations while being posted in DSO office Sriganganagar.
(10)Certified copy of Service Book, personal File & each years ACR/APPR of Mr. Sandeep Gaur

अपीलार्थी का उक्त आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं मुख्यमन्त्री कार्यालय राज0 जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 08.07.15 से राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन उप सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज0 जयपुर को अन्तरित कर दिया गया व खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग राज0 जयपुर विभाग द्वारा दिनांक 27.07.2015 के पत्र से जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर व हनुमानगढ को धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया गया। श्री योगेश कुमार टेकवाणी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26.06.15 से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे।

कलैक्टर
गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकरण में अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2015 जिसका फीस के रूप में पोस्टल ऑर्डर संख्या 32एफ 333754 है से संबंधित 10 बिन्दुओ की सूचना जो अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी द्वारा पत्र सं0 4609 दिनांक 13.08.2015 से भेजी गई है में श्री संदीप गोड प्रवर्तन अधिकारी की सूचना के साथ श्री सत्यप्रकाश प्रवर्तन अधिकारी की सूचना भी सम्मिलित है किन्तु इस अपील में केवल श्री संदीप गोड प्रवर्तन अधिकारी से संबंधी सूचना पर ही विचार किया किया जाना है।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 4609 दिनांक 13.08.15 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया हैः–

1– श्री संदीप गोड प्रवर्तन अधिकारी की प्रथम नियुक्ति दिनांक सेवाभिलेख के अनुसार 05.10.96 है व श्री सत्यप्रकाश गुप्ता प्र0अ0 की प्रथम नियुक्ति दिनांक 09.11.81 को उद्योग प्रसार अधिकारी के पद पर की गई है।

2– बिन्दु संख्या 3 के संबंध में कर्मी के सेवाभिलेख के अनुसार श्री संदीप गोड की प्रथम नियुक्ति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के कार्यालय में श्री सत्यप्रकाश गुप्ता की प्रथम नियुक्ति सहायक निदेशक उद्योग विभाग श्रीगंगानगर में हुई थी।

4– बिन्दू संख्या 4 व 5 व 8 की सूचना बिन्दू संख्या 10 की सूचना प्राप्त करने पर उसमें दर्ज है। श्री सत्यप्रकाश गुप्ता की वर्तमान पदस्थापन तहसील पदमपुर में है।

5– बिन्दु संख्या 7 की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।

6– बिन्दु संख्या 2–6–9 में चाही गई सूचनांए धारा 2(च) के अनुसार देय नही है क्योंकि राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की 2"च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16)प्रसू./सूअप्र./2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में "क्यों" प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है। रिट पेटीशन सं0 419/2007 डा0 सेल्सा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नो के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई कई समस्यांयों का समाधाना करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। चाही गई सूचना प्रश्नोतर के रूप में नही होनी चाहिए चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता।

7– बिन्दु संख्या 10 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि श्री संदीप गोड़ प्र0अ0 की सेवा पुस्तिका में 43 पेज है व व्यक्तिगत पत्रावली में 155 पेज है व श्री सत्यप्रकाश की सेवा पुस्तिका में 44 व व्यक्तिगत पत्रावली में 246 पेज बनते है जिसकी निर्धारित फीस 2 रूपये प्रति पेज की दर से 888 रूपये बनते है जिनके पोस्टल ऑर्डर इस कार्यालय में जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में उक्तानुसार निश्चित अवधि में ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा उत्तर दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए तथा तृतीय पक्ष से संबंधित नही होनी चाहिये और विस्तृत व कार्यालय संसाधनो को प्रभावित करने वाली नही होनी चाहिए तथा लोक सूचना अधिकारी के पास किसी निश्चित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। तथ्यों को खोजकर सूचना तैयार कर उपलब्ध करवाना लोक सूचना अधिकारी का कार्य नही है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टान्त Girisn Ramchandra Deshpande Versus Cen. Information Commr. & Ors.** स्पेशल लीव पेटीशन (सिविल) न0 27734/2012 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2012 के अनुसार किसी भी राज्य कर्मचारी की चल–अचल सम्पति, सम्पति से आय, उसको जारी शो कॉज नोटिस, सजा, परिनिंदा, सेवाभिलेख आदि से संबंधित सूचनांए व्यक्तिगत होने के कारण व सूचनांओ में कोई लोक हित नही होने से धारा 8(1)(जे) के तहत ऐसी सूचनांए देय नही है। अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से चाही गई सूचनांए भी उक्त श्रेणी की है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी द्वारा दिये गये उत्तर में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। चूंकि श्री संदीप गोड प्रवर्तन अधिकारी के सेवाभिलेख से संबंधित सूचनाओ के बिन्दु संख्या 10 के बारे में जिला रसद अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 13.08.2015 द्वारा अपीलार्थी को श्री संदीप गोड के सेवाभिलेख के 43 पेज व व्यक्तिगत पत्रावली के 155 पेज के 2रूपये प्रति पेज की दर से राशि जमा करवाने के लिए अपीलार्थी को सूचित किया गया है। इसलिए अपीलार्थी अगर बिन्दु सं0 10 की सूचना लेना चाहे तो वह उक्तानुसार राशि लोक सूचना अधिकारी को जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। आदेशा की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर